न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 254/2015/75 (00150/2015/75)

1. श्रीमती रेणू अत्रे पत्नि मदनमोहन अत्रे, निवासी मकान नंबर 378—सी ब्लॉक, मालवीय नगर, जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अज़मेर ।
2. ग्राम पंचायत दुर्गावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर दिनांक 7.12.2004 अंतर्गत प्रकरण संख्या 2004/आरक्षण/आबादी/2004/16.

उपस्थितः—

1. श्री गजेन्द्रसिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री हरदत्त सारण, वकील रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर के आदेश दिनांक 7.12.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर ने प्रशासन आपके द्वार, अभियान 2004 में आदेश क्रमांक प्र.आ.के द्वारा 2004/आरक्षण/आबादी/2004/16 दिनांक 7.12.2014 द्वारा ग्राम रामावास के खसरा नंबर 258 में रकबा 5 बीघा सिवायचक भूमि को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं राज्य सरकार/राजस्व विभाग राजस्थान के परिपत्र संख्या एफ.6(2)राजस्व/बी/67 दिनांक 17 जनवरी, 1967 एवं प.6 (43)/राज./ग्रुप—6/2001/58 जयपुर दिनांक 28.9.2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबादी में आरक्षित किये जाने के आदेश प्रदान किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत इस न्यायालय में पेश की है ।
3. विद्वान वकील प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया को आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा में 4.90 है0 तक खनन पट्टा हेतु निवेदन किया गया था जिस पर प्रार्थिया को आवंटन खान एम.एल. संख्या 22/2002 दिनांक 16.4.2007 द्वारा स्वीकृत किये जाने पर उप पंजीयक ब्यावर के समक्ष दिनांक 11.6.2008 को निष्पादित किये जाने पर दिनांक 17.6.2008 को लीजडीड पंजीकृत की गई है । प्रार्थिया की लीजडीड में दर्शित रकबा 4.90 है0 है उसमें 5 बीघा रकबा राजस्थान भू—राजस्व अधि0 की धारा 92 के तहत आबादी हेतु शिविर प्रभारी द्वारा आबादी विस्तार हेतु कुल खसरा नंबर 258 में आरक्षित कर दी जबकि उपरोक्त भूमि प्रार्थिया द्वारा ओक्युपाईड भूमि थी । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है जिससे अपीलांट पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.12.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 258 खनिज एवं जियोलोजिकल विभाग की रिपोर्ट सन् 1992–93, 1993–94 द्वारा केलसाईट एवं वोलेस्टोनाईट मिनरल के खनन हेतु प्रोसपेक्टिव होना मानते हुए राजस्थान सरकार को रिजर्व रखने के आदेश दिये है । उपरोक्त खसरा नंबर पर माईनिंग ऑपरेट करने हेतु इच्छुक लोगो से खनन प्रार्थना पत्र मांगने पर प्रार्थिया ने भी अपना प्रार्थना पत्र पेश किया था । प्रार्थिया को हाल ही में पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 4.19 है0 जो उसको खनन पट्टे में सम्मिलित किया है का काफी बड़ा भाग आबादी हेतु सुरक्षित किया गया है । अपीलाधीन आदेश की प्रार्थिया को जानकारी नहीं थी । उक्त जानकारी होने पर प्रार्थिया ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार, जिला परिषद, अजमेर का आदेश दिनांक 7.12.2004 विरूद्ध न्याय, नियम व रिकार्ड होने से निरस्तनीय है। भूराजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत उपरोक्त अधिकारी को राज्य की सिवायचक भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने का अधिकार ही नहीं था साथ ही शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार, जिला परिषद, अजमेर ने खसरा नंबर 2158 के कुल रकबा 19.20 है0 में कुल रकबे का बिना जिक्र किये 5 बीघा भूमि बाबत् अस्पष्ट आदेश पारित किया है । खसरा नंबर 258 रकबा 4.9 है0 का अपीलांट को खनन पट्टा पूर्व में ही माईनिंग विभाग द्वारा दिया जा चुका था ऐसी स्थिति में शिविर प्रभारी को मौके की स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की तत्कालीन स्थिति के बारे में स्वंय को संतुष्ट हुए बिना आदेश पारित नहीं करना चाहिये था । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जिसने की आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.2002 से विचाराधीन था और खनिज विभाग द्वारा चाही गई राशि भी अपीलांट ने पूर्व में जमा करा दी थी । ग्राम रामावास के कुछ व्यक्तियों ने इसी आराजी बाबत् अपीलांट के विरूद्ध सिविल वाद प्रस्तुत किया था जो वाद खारिज हो चुका है । ग्राम रामावास की ओर से ही संबंधित अधिकारी जिसने आदेश पारित किया है के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । खसरा नंबर 258 पूर्व में ही अर्थात् 1992, 1993 एवं 1993–94 में माईनिंग एवं जियोलोजिकल विभाग द्वारा खनन वोलेस्टोनाईट खनिज हेतु प्रासप्रेक्टिव होना मानते हुए राजस्थान सरकार ने इस हेतु रिजर्व रखने हेतु अपनी रिपोर्ट दी थी जिस पर राजस्थान सरकार ने खनन पट्टे हेतु इच्छुक लोगों से प्रार्थना पत्र मांगे जिसमें अपीलांट भी शामिल थी तब विवादित भूमि आबादी के लिए उपलब्ध हीं नहीं थी ओर न ही नागरिकों के निवास हेतु उपयुक्त थी । ऐसी स्थिति में बिना जांच किये ही शिविर प्रभारी ने आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलांट ने खनन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.2002 को पेश किया उस प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट ने 19.20 है0 का आवंटन चाहा था किन्तु बाद में अपीलांट ने केवल 4.90 है0 तक खनन पट्टा हेतु निवेदन किया जिस पर अपीलांट को आवंटन खान एम.एल. संख्या 22/2002 दिनांक 16.4.2007 द्वारा स्वीकृत किये जाने पर उप पंजीयक ब्यावर कार्यालय के समक्ष दिनांक 11.6.2008 को निष्पादित की एवं दिनांक 17.6.2008 को लीज–डीड पंजीकृत करवाई । खनिज अभियंता के अनुसार अपीलांट ने ड्राफ्ट संख्या 122361 बैंक ऑफ बड़ौदा राशि 2,42,961/–रू0 एवं एफ.डी. आर. नंबर 527918 राशि 10,000/–रू0 तथा एफ.डी.आर. संख्या 527917 राशि 100,000/–रू0 अदा कर दिये है । अपीलांट को आवंटित खान का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रकबा 4.90 है0 है उसमें 5 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 92 के तहत आबादी हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर द्वारा आबादी विस्तार हेतु खसरा नंबर 258 में आरक्षित कर दी जबकि जो भूमि आरक्षित की है उसमें अपीलांट को जारी किये गये खनन पट्टे की भूमि भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 258 की 5 बीघा भूमि आरक्षित की गई है वह उपलब्ध ही नही थी । शिविर प्रभारी ने उपरोक्त तथ्यों की जांच कराये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर के आदेश दिनांक 7.12.2004 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में सर्वे रिपोर्ट, माईनिंग लीज हेतु प्रार्थना पत्र, लीज एग्रीमेंट, पंचायत दुर्गावास का प्रमाण पत्र बाबत् खसरा नंबर 258, नक्शा खसरा नंबर 258 माईनिंग चलाने हेतु, राजस्थान सरकार माईनिंग विभाग का आदेश, सिविल वाद का वादपत्र, जवाबदावा एवं आदेश की प्रतियां पेश की ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है । आवंटन दिनांक को विवादित भूमि सिवायचक दर्ज थी इस कारण शिविर प्रभारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा दिनांक 7.12.2004 को खसरा नंबर 258 में रकबा 5 बीघा भूमि बाबत् आबादी हेतु किया गया आरक्षण आदेश विधिसम्मत् है। अपीलांट ने खनन पट्टे बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील पत्रावली पर पेश नहीं किये है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

हमनें विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थिया को आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा में 19.20 है0 भूमि खनन हेतु निवेदन किया था जो आगे चलकर 4.90 है0 तक खनन पट्टा हेतु निवेदन करने पर प्रार्थिया को आवंटन खान एम0एल0संख्या 22/2002 दिनांक 16.4.2007 द्वारा स्वीकृत किये जाने पर उप पंजीयक ब्यावर के समक्ष दिनांक 11.6.2008 को निष्पादित किये जाने पर दिनांक 17.6.2008 को लीजडीड पंजीकृत की गई है । प्रार्थिया के लीजडीड में दर्शित रकबा 4.9 है0 है उसमें से 5 बीघा रकबा राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 92 के तहत आबादी हेतु शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की है जबकि उपरोक्त भूमि ओक्युपाईड भूमि थी । शिविर प्रभारी के उपरोक्त आदेशों से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होने का कथन किया है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थिया/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.12.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का अवलोकन किया । चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थिया को सुना नहीं गया था इसलिये अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को तत्समय जानकारी होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट ने जानकारी के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट कथन है कि ग्राम रामावास तहसील ब्यावर में आराजी खसरा संख्या 258 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा भूमि को माईनिंग और जियोलोजिकल विभाग ने अपनी रिपोर्ट द्वारा केलसाईट और वोलस्टोनाईट मिनरल के खनन हेतु उपयुक्त मानते हुए खनिज हेतु रिजर्व रखने की रिपोर्ट वर्ष 1992, 1993 में दी थी । तत्पश्चात् खनिज हेतु आवंटन किये जाने की विज्ञप्ति पर अपीलांट ने खनन आवंटन हेतु

प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.2002 को पेश किया जिसमें 19.20 है0 का रकबा खनन हेतु चाहा था किन्तु बाद में अपीलांट ने केवल 4.90 है0 तक खनन पट्टे हेतु निवेदन किया जिस पर अपीलांट को खान एम0एल0संख्या 22/2002 दिनांक 16.4.2007 को स्वीकृत की गई थी जिसका पंजीयन दिनांक 11.6.2008 को निष्पादित कर दिनांक 17.6.2008 को लीजडीड पंजीकृत की गई है । अपीलांट ने ग्राम रामावास तहसील ब्यावर के खसरा संख्या 258 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा भूमि को माईनिंग और जियोलोजिकल विभाग द्वारा केलसाईट और वोलस्टोनाईट मिनरल के खान हेतु सन् 1992, 1993 द्वारा रिजर्व रखने का कथन किया है किन्तु इस संबंध में माईनिंग एवं जियोलोजिकल विभाग द्वारा विवादित भूमि को खान हेतु रिजर्व रखने के संबंध में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने ग्राम रामावास के खसरा नंबर 258 में 5 बीघा रकबा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किये जाने के आदेश दिनांक 7.12.2004 को पारित किये है जबकि अपीलांट के पक्ष में लीजडीड का निष्पादन दिनांक 17.6.2008 को हुआ है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट के पक्ष में खनन हेतु लीज–डीड निष्पादन से पूर्व ही विवादित आराजी अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.12.2004 से ग्राम पंचायत दुर्गावास, तहसील के आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की जा चुकी थी । अपीलांट विवादित आराजी खनन हेतु आरक्षित किये जाने संबंधी तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रही है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखेजाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान शिविर प्रभारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर का आदेश दिनांक 7.12.2004 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर